

:: ई-विड सूचना संख्या: जोन-उत्तर 03/2020-21::

जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की ओर से प्राधिकरण एवं राजकीय विभाग में उपयुक्त श्रेणी में पंजीकृत विडर्स कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, डाक एवं दूरसंचार, रेलवे या अन्य राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकार के अधिकृत संगठनों जो राजस्थान सरकार के उपयुक्त श्रेणी के विडर्स के समकक्ष हो (विडर्स पात्रता पंजीकरण के नियमों के अनुसार मान्य) से निर्धारित प्रपत्र में ई-प्रोक्युरमेन्ट प्रक्रिया से सिविल कार्यों हेतु ऑन लाइन विड आमंत्रित की जाती है। जो निम्नलिखित दिनांक अनुसार डाउनलोड तथा खोली जायेगी। विड सुरक्षा राशि कार्य की अनुमानित लागत पर प्राधिकरण में पंजीकृत सक्षम विडर्स द्वारा 1/2 प्रतिशत राशि एवं अन्य विभाग में, एवं श्रेणी में पंजीकृत सक्षम विडर्स द्वारा 2/2 प्रतिशत राशि, विड प्रपत्र शुल्क निम्नानुसार ऑनलाइन SSO ID के माध्यम से जमा कराना आवश्यक है।-

महत्वपूर्ण दिनांकों का विवरण

क्र.सं	विवरण	आईटम क्र. सं.	दिनांक व समय
1	ऑन लाइन विड फार्म की उपलब्धता डाउनलोड आरम्भ होने की दिनांक व समय	01 से 03	दिनांक 01.09.2020 प्रातः 09.30 बजे से
2	ऑन लाइन विड फार्म डाउनलोड समाप्त होने की दिनांक व समय	01 से 03	दिनांक 14.09.2020 सायं 6.00 बजे तक
3	ऑन लाइन विड फार्म जमा कराने की प्रारम्भ होने की दिनांक व समय	01 से 03	दिनांक 01.09.2020 प्रातः 09.30 बजे से
4	ऑन लाइन विड फार्म जमा कराने की अन्तिम दिनांक व समय	01 से 03	दिनांक 14.09.2020 सायं 6.00 बजे तक
5	विड प्रपत्र शुल्क, विड सुरक्षा राशि ऑन लाइन SSO ID के माध्यम से जमा कराने की अन्तिम दिनांक व समय	01 से 03	दिनांक 14.09.2020 सायं 6.00 बजे तक
6	विड खोलने की दिनांक व समय	01 से 03	दिनांक 15.09.2020 सायं 04.00 बजे

विड का विवरण निम्न प्रकार है-							
क्र. सं.	कार्य का नाम	कार्य की अनुमानित लागत (लाखों में)	विड सुरक्षा राशि(₹)	विड प्रपत्र शुल्क	कार्य पूर्ण करने की अवधि	दोष निवारण अवधि	जोन कार्यालय
1	मानसागर पार्क में स्पूजिकल फाउन्टेन व जिम उपकरणों के बारे और एवं बाबू लक्षणसिंह पार्क में रेलिंग समाने का कार्य	4.32	4320/-	500/-	02 माह	6 माह	उत्तर
2	जोन उत्तर में स्थित महाला गांधी आवासीय योजना में मुटाम निर्माण कार्य।	14.69	14690/-	500/-	6 माह	3 वर्ष	उत्तर
3	जोन उत्तर के क्षेत्राधिकार में विभिन्न स्थानों पर सड़क सुरक्षीकरण, चौड़ाईकरण एवं मरम्मत का कार्य (वार्षिक अनुबंध 2020-21)	143.29	143290/-	1000/-	12 माह	3 वर्ष	उत्तर

विड की महत्वपूर्ण शर्तें निम्नानुसार हैं:-

- विड प्रपत्रों को वेबसाइट <http://www.eproc.rajsathan.gov.in> से डाउनलोड किया जा सकता है। इन विड में भाग लेने वाले विडर्स को विड को इलेक्ट्रॉनिक फॉरमेट में वेबसाइट <http://www.eproc.rajsathan.gov.in> पर जमा करनी होगी।
- विड की प्रक्रिया ऑन लाइन होगी।
- विड हेतु पात्र विडर्स की श्रेणी :-
किसी भी सीमा तक रुपये 300.00 लाख तक
रुपये 150.00 लाख तक
रुपये 50.00 लाख तक
रुपये 15.00 लाख तक
- एर श्रेणी, विडर्स
ए श्रेणी, विडर्स
दी श्रेणी, विडर्स
सी श्रेणी, विडर्स
डी श्रेणी, विडर्स
- विड खोलने की तिथि को किसी कारणवश यदि सम्पूर्ण विड नहीं खोली जा सकती हैं, तो उसके अगले कार्य दिवस को शेष विड खोलने का कार्य जारी रखा जायेगा।
- विडर्स द्वारा निम्नलिखित राशि निम्न विवरण अनुसार विड खोले जाने के समय से पूर्व जरिये ऑनलाइन SSO ID ऑनलाइन विड फार्म जमा कराने की अन्तिम तिथि तथा समय तक जमा करवाना आवश्यक है।

क्र.सं.	शुल्क विवरण	शुल्क	भुगतान का प्रकार	देय
1.	विड शुल्क	उपरोक्तानुसार	ऑनलाइन SSO ID के माध्यम से	सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
2.	विड सुरक्षा राशि	अनुमानित लागत का 2 प्रतिशत	sso.rajasthan.gov.in पर urban services में Payment gateway for E-Tendering से	सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
3.	ई-विड प्रक्रिया शुल्क	50 लाख से कम 500/- 50 लाख से ऊपर 1000/-	MD RISL, JAIPUR	

- प्रदत दर्दे विड खोलने की दिनांक से 50 दिवसों तक विड स्वीकृति हेतु मान्य (Valid) रहेगी। यदि विडर्स उस अवधि में अपनी विड अधारा शर्तों में किसी प्रकार का संशोधन करता है अथवा अपनी विड वापस ले लेता है, तो उसकी विड सुरक्षा राशि जब तक नियमित रूप से जारी रखी जायेगी।
- यदि विडर्स के नजदीकी रिसेप्टेवर (प्रथम रक्त सम्बन्धी व उनके पति/पत्नी) कार्य से संन्यवित जोन अध्या अधीनस्थ कार्यालय में खण्डीय लेखाकार अथवा साधारण अभियंता से लेकर अधीक्षण अभियंता स्तर का किसी भी स्तर पर पदस्थापित हो, तो उसके कार्य पर नियुक्त करने पर प्रतिबन्ध रहेगा।
- राज्य सरकार में किसी भी अभियांत्रिकी विभाग में किसी भी इंजीनियर या प्रशासनिक कार्य पर नियुक्त राजपत्रित अधिकारी राज्य की अनुमति के बिना सेवा नियुक्ति के 2 वर्ष तक विडर्स अधारा उसके कर्मचारी के रूप में कार्य नहीं कर सकते। यदि विडर्स अधारा उसके कर्मचारियों में कोई ऐसा व्यक्ति जिसने राज्य सरकार की उपर लियित अनुमति विड जमा करने से पहले अध्या अनुबन्ध रद्द किया जायेगा।
- विडर्स के विड भरते समय पंजीयन प्राप्त व GST रजिस्ट्रेशन की प्रति को स्पेन कर लगाना अनिवार्य है।
- किसी भी विड को स्वीकार करने एवं दिना कारण वापसी नियस्त करने के समस्त अधिकार निम्नस्तानकारी को रखेगा। RPPW/1 एवं नियम 2012 के विवरण में नहीं है।
- विडर्स को आदेत संस्था एफ.टी./ई.एफ.एस्ट. ए.आर./2007 दिनांक 30.09.2011 (सर्वानुद नं. 10/2011) की अनुसार 50.00 लाख रुपये तक यी राशि के लिए 500/- व 50.00 लाख रुपये से अधिक राशि की अनुसार 500/-

- 1000/- रु. की राशि ऑनलाईन SSO ID के माध्यम रूप में देय होगी। यह राशि मैनेजिंग डायरेक्टर, आरआईएसएल के पक्ष में व जयपुर में भुगतान योग्य होना चाहिये।
12. नेगोशिएशन की आवश्यकता होने पर ई-मेल / पत्र द्वारा डाक से सूचित किया जायेगा।

13. विड प्रपत्र शुल्क निम्नानुसार निर्धारित है :-

50 लाख से कम अनुमानित लागत	रुपये 500
50 लाख से 150 लाख तक अनुमानित लागत	रुपये 1000
150 लाख से 400 लाख तक अनुमानित लागत	रुपये 2000
400 लाख से अधिक अनुमानित लागत	रुपये 5000

14. ई-विड के लिए विडर्स हेतु निर्देश :-

- इन विड में दिलचरी लेने वाले विडर्स विड प्रपत्रों को इन्टरनेट साईट <http://www.eproc.rajsathan.gov.in> देख / डाउनलोड कर सकते हैं।
- विड में भाग लेने वाले विडर्स को इन्टरनेट सार्डट <http://www.eproc.rajsathan.gov.in> पर रजिस्टर करवाना होगा। ऑनलाईन विड में भाग लेने के लिए डिजिटल सार्टिफिकेट है। इफोरमेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के तहत प्राप्त करना होगा, जो इलेक्ट्रोनिक विड में साईंट करने हेतु काम आयेगा। विडर्स उपरोक्त डिजिटल सार्टिफिकेट सी सी ए द्वारा स्वीकृत एजेन्सी से प्राप्त कर सकते हैं। जिन विडर्स के पास पूर्व में वैध डिजिटल सार्टिफिकेट हैं तो नया डिजिटल लेने की आवश्यकता नहीं है।
- विडर्स को विड प्रपत्र इलेक्ट्रोनिक फार्मट में उपरोक्त वेबसाइट पर डिजिटल साईंट के साथ प्रस्तुत करना होगा। जिसका प्रस्ताव अकेले गौतिक फॉर्म में रखीकार्य नहीं होगा।
- इलेक्ट्रोनिक विड प्रपत्रों को जमा कराने से पूर्व विडर्स यह सुनिश्चित कर लेवे की विड प्रपत्रों से संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेजों की रफेन कॉपी नियमा प्रपत्रों के साथ अटेच कर दी गयी है।
- कोई भी टेप्टर इलेक्ट्रोनिकली जमा कराने में किसी कारण से लेट हो जाता है तो उसका जिम्मेदार विभाग नहीं होगा।
- विड के प्रपत्रों में आवश्यक सभी सूचियों को सम्पूर्ण रूप से भरकर ऑनलाईन दर्ज करें।
- 15. विड राजस्थान लोक उपायन पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 के अन्तर्गत आमंत्रित की जाती है। उपर अंकित समस्त प्रावधान / बंधन उरा रीग्न तक ही लागू होंगे जिस सीमा तक वे उस विन्दु से उल्लेखित अधिनियम एवं नियमों कि विकल्प नहीं हों।
- 16. विड के साथ अनुलग्नक परिशिष्ट A से D विन्दु के भाग है, जिसकी पूर्ति अनिवार्य है।
- 17. प्राधिकरण के कार्यालय आदेश क्रमांक जो.पि.प्रा./अ.अ./उत्तर/18-19/673-678 दिनांक 23.05.2018 के अनुसार नवीन राडक / मरमत / पेच रिपेयर आदि कार्य के लिए मूल विडर्स के पास स्वयं का Bitumin Hot mix Plan (As per IRC-27) Annex-A होना आवश्यक है।
- 18. कार्य की गुणवत्ता जांच विडर द्वारा निर्धारित माप दण्डों के अनुरूप स्वयं के खर्च पर करानी होगी।
- 19. आवश्यकता होने पर 15 लाख से अधिक लागत के कार्य का तृतीय पार्टी निरीक्षण एवं गुणवत्ता जांच विडर द्वारा स्वयं के खर्च पर करावाकर रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर ही विल पारित किया जायेगा।

कार्यालय :-

1. निजी संचिय, अव्यक्त गहोदय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
2. निजी संचिय, अयुक्त महोदय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
3. संचिय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
4. निदेशक अभियांत्रिकी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
5. निदेशक वित्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
6. मुख्य लेखाधिकारी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
7. संहायक लेखाधिकारी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
8. अधीक्षण अभियांता, सा.नि.पि. / जो.पि.पि.नि.सि. / जन.स्क.अभि. विभाग / जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
9. अधिकारी अभियांता जोन- पूर्व/परिघास/दक्षिण/मुख्यालय/आरओ.वी./विष्वत/पी.एच.ई., जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
10. कैशीयर/नोटिस बोर्ड।
11. साहायक जन सम्पर्क अधिकारी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
12. एनालिस्ट कम प्रोग्राम, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर को प्रेरित कर लेख है कि उक्त निविदा का प्रकाशन एनालिस्ट कम प्रोग्राम, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर को प्रेरित कर लेख है कि उक्त निविदा का प्रकाशन <http://www.eproc.rajsathan.gov.in>, www.jodhpurda.org एवं www.sppp.raj.nic.in की वेबसाइट पर तुरन्त प्रदर्शित (Up Load) कर तथा जी शेड्युल अपलोड शोर्ट के पश्चात टेप्टर आई-डी अपोहस्तावकर्ता को उपलब्ध करावे।
13. सुनाम साहायक सुस्थी / श्रीमति लालपति का पति प्रेरित कर लेख है कि उक्त विड से संबंधित सुवना SSO ID द्वारा पोर्टल पर अपलोड करें।
14. ठेकेदार संघ, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर / जोधपुर ठेकेदार संघ / अंत राजस्थान कान्ट्रीकर रेसोसियेशन / ठेकेदार संघ निविल जोड़ी/पीडल्टन्डी ठेकेदार संघ / |

अधिकारी अभियांता (जोन-उत्तर)
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

दिनांक :-

अधिकारी अभियांता (जोन-उत्तर)
जोधपुर विकास प्राधिकरण,
जोधपुर